

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377] No. 377] नई दिल्ली, सोमवार, जून 4, 2018/ज्येष्ठ 14, 1940

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4, 2018/JYAISTHA 14, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2018

सं. 48/2018-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.िन. 525(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ (1) इन विनियमों को एक्सपोर्ट बाई पोस्ट रेग्युलेशन्स, 2018 कहा जायेगा:
 - (2) ये विनियम दिनांक 21 जून 2018 से लागू होंगे:
- 2. प्रयोज्यता- ये विनियम वस्तुओं के ऐसे निर्यात पर लागू होंगे जो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा जारी किया गया वैध आयात-निर्यात कोड हो और यह निर्यात सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उप-धारा (ङ) के अंतर्गत अधिसूचित किसी विदेशी डाकघर से तथा अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में किया जा रहा हो;
- 3. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो-
 - क) "अधिनियम" का अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962का 52) से है;
 - ख) "ई-कामर्स" से अभिप्राय किसी ऐसे ई-कामर्स प्लेटफार्म से इन्टरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीद या बिक्री से है जिसके लिये भुगतान इन्टरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से अथवा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाता हो";
 - ग) "फार्म" से अभिप्राय इन विनियमों के परिशिष्ट में दिये गए फार्म से है।

3139 GI/2018 (1)

- (2) ऐसे शब्द जो कि इन विनियमों में प्रयोग तो किए गये हैं लेकिन यहाँ उनको परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो इनके लिये उक्त अधिनियम में दिया गया हो।
- **4. निर्यात माल के संबंध में की जाने वाली प्रविष्टि** किसी विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात किए जाने वाले माल के संबंध में क्लियरेंस वाले विदेशी डाकघर के यथोचित अधिकारी के यहाँ तथा इन विनियमों के परिशिष्ट में दिये गए फार्म में प्रविष्टि को भरना आवश्यक होगा।

[फा.सं. 476/02/2016-एल सी]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

फार्म-I

(देखें विनियम 4)

पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट - I (पी बी ई - I)

(ई-कामर्स के माध्यम से माल के किये जाने वाले निर्यात के लिये)

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

(41 Aldal a Alga Pe)												
बिल	विदेशी डाकघर	निर्यातक का	निर्यातक का	आई ई सी	राज्य	जी एस	ए डी	कस्टम्स ब्रो	कर का ब्यौरा			
ऑफ एक्सपो र्ट की संख्या और	का कोड	नाम	पता		का कोड	टी आई एन या जो भी लागू हो	कोड (यदि लागू हो)	लाइसेन्स संख्या	नाम और पता			
तारीख .												
घोषणा												
हम घोषणा करते हैं कि हम मर्केण्डाइज़ एक्स्पोर्ट्स फ्राम इंडिया स्कीम (MEIS) के अंतर्गत पुरस्कार के लिये दावा करना चाहते हैं (केवल चेन्नै/मुंबई/ दिल्ली के विदेशी डाकघर से होने वाले निर्यात के लिए)।												
2	हम घोषणा करते हैं कि हम आईजीएसटी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत अपने निर्यात को जीरो रेट रखेंगे।											
3 हम घोषणा करते हैं कि यह माल सीजीएसटी / एसजीएसटी /यूटीजीएसटी /आईजीएसटी एक्ट्स के अंतर्गत छूट प्राप्त है।												
हम घोषणा करते हैं कि इस पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट में दिये गए सभी विवरण हर दृष्टि से सत्य और सही हैं। (निर्यातक/प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर)												
परीक्षण अ	ादेश और रिपोर्ट											
			ले	ट एक्सपोर्ट अ	ार्डर. सीमाश्	ाुल्क अधिका	री के हस्त	नाक्षर तथा मुह	हर और तारीख			

						पार्स	ल का ब्यौरा						
क्र म	म ब्यौरा		उत्पाद का ब्यौरा			पार्सल का ब्यौरा			ई-कामर्स का विवरण				
सं.	नाम और पता	गंतव्य देश	विवरण		मात्रा काई (नग, लीटर, ग्रा,मीटर)	संख्या	इनवाइस संख्या और तारीख	भार सकल	निवल	वेबसाइट का यू आर एल (नाम)	संव्यवहार के भुगतान की आई डी	एस के यू सं ख्या	पोस्टल ट्रैकिंग संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

सीमाशुल्क अधि	नियम की धारा '	14 के अंतर्गत आव	लन योग्य मूल्य	टैक्स इनवाइस या कमर्सियल इनवाइस (जो भी लागू हो) का ब्यौरा					
एफ ओ बी	मुद्रा	विनिमय दर	राशि,	एच एस कोड	इन्वाइस	मूल्य			
			भारतीय रूपये में		इनवाइस इन्वाइस के संख्या और मद की क्रम तारीख संख्या				
15	16	17	18	19	20	21	22		

	शुल्क/कर का ब्यौरा												
	सीमा	शुल्क			जी '	_	ल						
निर्यात	निर्यात शुल्क उपकर			आईजीए	प्तटी (यदि	क्षतिपूरि	र्ते उपकर	एलयूटी/	शुल्क	उपकर			
				लागृ		(यदि लागू हो)		बॉंड का					
दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	ब्यौरा (यदि					
								कोई लागू					
								हो)					
23	24	25	25	27	28	29	30	31	32	33			

फार्म -II (देखें विनियम 4) पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट – II (पी बी ई - II) (दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

बिल ऑफ एक्सपोर्ट की संख्या और तारीख .	विदेशी डाकघर का कोड	निर्यातक का नाम	निर्यातक का पता	आई ई सी	राज्य का कोड	जी एस टी आई एन या जो भी लागू हो	ए डी कोड (यदि लागू हो)	कस्टम्स ब्र लाइसेन्स संख्या	ोकर का ब्यौरा नाम और पता		
घोषणा											

1	हम घोषणा करते हैं कि हम मर्केण्डाइज़ एक्स्पोर्ट्स फ्राम इंडिया स्कीम (MEIS) के अंतर्गत पुरस्कार के लिये	
	दावा करना चाहते हैं (केवल चेन्नै/मुंबई/ दिल्ली के विदेशी डाकघर से होने वाले निर्यात के लिए)।	
2	हम घोषणा करते हैं कि हम आईजीएसटी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत अपने निर्यात को जीरो रेट रखेंगे।	
3	हम घोषणा करते हैं कि यह माल सीजीएसटी / एसजीएसटी /यूटीजीएसटी /आईजीएसटी एक्ट्स के अंतर्गत	
	छूट प्राप्त है।	

हम घोषणा करते हैं कि इस पोस्टल बिल आफ एक्सपोर्ट में दिये गए सभी विवरण हर दृष्टि से सत्य और सही हैं।

(निर्यातक/प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर)

परीक्षण आदेश और रिपोर्ट

लेट एक्सपोर्ट आर्डर. सीमाशुल्क अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर और तारीख

					1	गार्सल का ब	गौ रा						
	इनी का उत्पाद का ब्यौरा गौरा			पार्सर	पार्सल का ब्यौरा					धिनियम व श्राकलन यो			
नाम और पता	गंतव्य देश	विवरण	सीटीएच	मात्रा ईकाई, (नग, लीटर, किग्रा, मीटर)	संख्या	इनवाइ स संख्या और तारीख	भार सकल	निवल		एफ ओ बी	मुद्रा	विनिम य दर	राशि, भारती य रूपये में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14

टैक्स इनवाइस या कमर्सि	टैक्स इनवाइस या कमर्सियल इनवाइस (जो भी लागू हो) का ब्यौरा											
एच एस कोड	, ,											
	इनवाइस संख्या और तारीख	इन्वाइस के मद की क्रम संख्या										
15	16	17	18									

	शुल्क/कर का विवरण												
	सीमा	शुल्क			जी एस टी का ब्यौरा								
निर्या	निर्यात शुल्क उपकर आईजीए				्सटी (यदि		र्ति उपकर	एलयूटी / बॉंड	शुल्क	उपकर			
				ला	गू हो)	(यदि लागू हो)		का ब्यौरा (यदि					
दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	कोई लागू हो)					
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2018

No. 48/2018-Customs (N.T)

G.S.R 525(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely: -

- 1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Exports by Post Regulations, 2018.
- (2) They shall come into force on 21st June 2018.
- **2. Application.** These Regulations shall apply to export of goods by any person, holding a valid Import-Export Code issued by the Director General of Foreign Trade, in furtherance of business from any foreign post office notified under sub-section (e) of section 7 of the Customs Act, 1962;
- 3. Definitions. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,
 - a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
 - b) "e-commerce" means buying and selling of goods through the internet on an e-commerce platform, the payment for which shall be done through international credit or debit cards and as specified by the Reserve Bank of India from time to time";
 - c) "Form" means the Form appended to these regulations.
- (2) The words used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the said Act.
- **4. Entry to be made for export goods.** In case of goods to be exported through a foreign post office, an entry shall be required to be presented to the proper officer at the foreign post office of clearance, in the forms appended to these regulations.

[F. No. 476/02/2016-LC]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

FORM-I

(see regulation 4)

Postal Bill of Export – I (PBE - I)

(For export of goods through E-Commerce)

(To be submitted in duplicate)

Bill of	Foreign Post	Name of	Address of	IEC	State	GSTIN or	AD code		of Customs			
Export	office code	Exporter	Exporter		code	as	(if	Bı	roker			
No.						applicable	applicable)	License	Name and			
and								No.	address			
date.												
	Declarations											
									as			
									applicable			

1.	We declare that we intend to claim rewards under Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) (for export through Chennai / Mumbai / Delhi FPO only).	
2.	We declare that we intend to zero rate our exports under Section 16 of IGST Act.	
3.	We declare that the goods are exempted under CGST/SGST/UTGST/IGST Acts.	
	by declare that the contents of this postal bill of export are true and correct in every respect. re of the Exporter/ Authorised agent)	
Examina	ation order and report	

	Details of parcel													
Sl.	Sl. Consignee details Product details				Details of Parcel			E	-commerce p	articula	rs			
No.	Name	Country of	Description	CTH	Quantity		Invoice	Invoice Weight		URL	Payment	SKU	Postal	
	and	destination			Unit	mb	no. and	Gross	net	(Name)	transaction	No.	tracking	
	Address				(pieces,	er	date			of	ID		number	
					res, kgs.,					website				
					meters)									
1	2	3	4	5	6		8	9		11	12	13	14	

Let Export Order: Signature of officer of Customs along with stamp and date.

Asse	ssable value under	section 14 of the Cu	Details of Tax invoice or commercial invoice (whichever				
					appli	cable)	
FOB	Currency	Exchange rate	Amount in INR	H.S code	Invoice	details	value
					invoice no.	Sl. No. of	
					and date	item in	
						invoice	
15	16	17	18	19	20	21	22

Details of duty/ tax									Tota	al
Customs duties (GST d	letails			
Exp	ort duty		Cess	IGST (if applicable)		Compensation cess (if applicable)		LUT/ bond details (if	duties	cess
rate	amount	rate	amount	rate	amount	rate amount		applicable)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

FORM-II

(see regulation 4)

Postal Bill of Export - II

(To be submitted in duplicate)

Bill of	Foreign Post	Name of	Address of	IEC	State	GSTIN or	AD code	Details of	of Customs
Export	office code	Exporter	Exporter		code	as	(if	Bı	roker
No.						applicable	applicable)	License	Name and
and								No.	address
date.									
			Declaration	ons					as

		applicable
1	We declare that we intend to claim rewards under Merchandise Exports from India Scheme (MEIS)(for export through Chennai / Mumbai / Delhi FPO only).	
2	We declare that we intend to zero rate our exports under Section 16 of IGST Act.	
3	We declare that the goods are exempted under CGST/SGST/UTGST/IGST Acts.	

We hereby declare that the contents of this postal bill of export are true and correct in every respect.

(Signature of the Exporter/ Authorised agent)

Examination order and report

Let Export Order: Signature of officer of Customs along with stamp and date.

	Details of parcel										
Consignee details		Pr	Product details		Details of Parcel		Postal tracking number	Assessable value under section 14 of the Customs Act			14 of the
Name and Address	Country of destination	Description	CTH Quantity Unit mber s, liters, meters)	Invoice no. and date	Weight Gross n	net		FOB	Currency	Exchange rate	Amount in INR
1	2	3	4 5	7	8		10	11	12	13	14

Details of Tax invoice or con	Details of Tax invoice or commercial invoice (whichever applicable)										
H.S code	H.S code Invoice details										
	invoice no. and date	Sl. No. of item in invoice									
15	16	17	18								

	Details of duty/ tax											
	Custom	s duties			GST details							
Ex	port duty		Cess	IGST (if applicable)	Compensation cess (if applicable)				LUT/ bond details (if applicable)	duty	cess
rate	amount	rate	amount	rate	amount	rate	amount					
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		